न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

(पीठासीन अधिकारीः– श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या –65 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 20 / 06 / 2024
निर्णय दिनांक– 08 / 10 / 2025

अनवान

1. सुरेश चावला पुत्र शान्तिलाल चावला जाति खटीक निवासी चतरपुरा मण्डावर हाल निवासी श्रीराम हॉस्पीटल देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. चतरभुज पिता पिथा जाति सालवी आयु बालिग निवासी ऑयल मिल के पास देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. संगिता पत्नि श्रवण लाल जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी ऑयल मिल के पास देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा व सामलाती जमीन देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1814 के खसरा न0 937 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.0600 हेक्टर भुमी होकर स्थित है। जिसके प्रमाण मे चालु जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमी की अब तक प्रार्थी ने पत्थरगढी नही कराई है। यह कि मौके पर प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

1 की भुमी कि प्रार्थी ने उक्त भूमी कि पत्थरगढी नही कराई है एवं उक्त भूमी प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 2 कि भूमि स्थित है। प्रार्थी कि भूमि के पिछे बिलानाम नगर पालिका कि भूमि है एवं एक तरफ रास्ता है। प्रार्थी के पास जमीन विपक्षी संख्या 1 से लगायत 2 पडौसी है जिससे विपक्षीगणो से हर वक्त जमीन कि सीमा के सम्बध में विवाद बना रहा है फसल काटते व बुआई के समय पाली वगैरा का विवाद रहता हैं और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थी की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हल हो सकता है। अप्रार्थीगणो का यही कहना है कि कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करा लो और पत्थरगढी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थी को अपनी उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्त मे दि0 08 / 05 / 2024 को स्थान ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ तहसील देवगढ मे प्रार्थी की उक्त जमीन की सीमा सम्बन्धी विवाद करने से ग्राम देवगढ तहसील देवगढ मे पैदा हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 की ग्राम ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1814 के खसरा न0 937 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.0600 हेक्टर भुमी की पत्थरगढी जरीये नपती नियमानुसार मौके पर तहसीलदार साहब देवगढ को भिजवाया जाकर कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02, बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु होने से अप्रार्थी 01 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध कार्यवाही बंद की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1814 के खसरा न0 937 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.0600 हेक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)